... आज पारित निर्णय/आदेश पेश हुया। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि पुराने खसरा नं0 1840 रकबा 0.97 हेकटे0, खसरा नं0 2467 रकबा 0.14 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टे0 में 1/3 हिस्सा वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1989 को क्रय की थी जो जरिये नामा0 सं0 977 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुयी है। वादी की वास्तविक जाति बलाई है, विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1989 व नामा0 सं0 977 में भी वादी की जाति बलाई दर्ज है। परन्तु इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति बलाई के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दी गयी जो गलत है। वादग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 है। अतः राजस्व ग्राम महावा स्थित नवीन खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 भूमि में वादी की जाति राजपूत के स्थान पर बलाई दुरुस्त किया जावें। वादी ने वादपत्र के साथ विक्रय पत्र, नोट नामा0 प्रस्तुत किये जिनमें वादी की जाति बलाई दर्ज है, साथ ही आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की है । प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट 5861 दिनांक 28.09.2022 द्वारा भी अनुतोष दिये जाने की सिफारिश की है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी की जाति राजपूत सहवन से गलत दर्ज है जबकि वादी की सही जाति बलाई है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार व वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार वादी की जाति **राजपूत** के स्थान पर **बलाई** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

21.11.22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि पुराने खसरा नं0 1840 रकबा 0.97 हेकटे0, खसरा नं0 2467 रकबा 0.14 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टे0 में 1/3 हिस्सा वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1989 को क्रय की थी जो जरिये नामा0 सं0 977 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुयी है। वादी की वास्तविक जाति बलाई है, विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1989 व नामा0 सं0 977 में भी वादी की जाति बलाई दर्ज है। परन्तु इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति बलाई के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दी गयी जो गलत है। वादग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 है। अतः राजस्व ग्राम महावा स्थित नवीन खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 भूमि में वादी की जाति राजपूत के स्थान पर बलाई दुरुस्त किया जावें। वादी ने वादपत्र के साथ विक्रय पत्र, नोट नामा0 प्रस्तुत किये जिनमें वादी की जाति बलाई दर्ज है, साथ ही आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की है । प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोट्र 5861 दिनांक 28.09.2022 द्वारा भी अनुतोष दिये जाने की सिफारिश की है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी की जाति राजपूत सहवन से गलत दर्ज है जबकि वादी की सही जाति बलाई है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार व वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खसरा नं0 332 रकबा 0.97 हैक्टे0 व 898 रकबा 0.14 हैक्टे0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार वादी की जाति **राजपूत** के स्थान पर **बलाई** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)